भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन
विशेष संदेशवाहक/कैम्प बैग द्वारा

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 5 जुलाई, 2017

सेवा में

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के
लिए रिटर्निंग अधिकारी और
महासचिव, राज्य सभा,
संसद सदन, नई दिल्ली।

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति-निदेश

महोदय,

मुझे, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति के संबंध में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6(ख) के अंतर्गत जारी निदेश, दिनांक 5 जुलाई, 2017 की एक प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

कृपया अनुलग्नकों सहित प्रेषित इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार मोहल)
अवर सचिव

सं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक/2017 दिनांक : 5 जुलाई, 2017

ऊपर संदर्भित निदेश की प्रति के साथ प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री के सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
7. सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
८. श्री मुकुल पाण्डे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
९. श्री रोहतास, सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।

(अश्वनी कुमार मोहल)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन
विशेष संदेशवाहक/कैम्प बैग द्वारा
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक/2017 तारीख: 5 जुलाई, 2017

निदेश

विषय:- उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6 (ख) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति।

राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निदेश देता है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन नियमों से संलग्न प्ररूप 5 में तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित में भी पुन: प्रकाशित की जाएगी :-

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शासकीय राजपत्र में ऐसी भाषा या भाषाओं में भी पुन: प्रकाशित की जाएगी जिनमें राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा जारी की गई सांविधिक अधिसूचनाएं ऐसे राजपत्रों में प्रकाशित की जाती हैं; तथा

(ख) उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में किसी सहज- दृश्य स्थान पर लगा कर।

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव